

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 34]

नई दिल्ली, अक्तूबर 15—अक्तूबर 21, 2017, शनिवार/आश्विन 23—आश्विन 29, 1939

No. 34]

NEW DELHI, OCTOBER 15—OCTOBER 21, 2017, SATURDAY/ASVINA 23—ASVINA 29, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2017

का.नि.आ. 82.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और तटरक्षक संगठन समूह 'क' और समूह 'ख' (भंडारण काडर) भर्ती नियम, 2013 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है; रक्षा मंत्रालय के अधीन तटरक्षक संगठन में ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी (संभार तंत्र), सिविलियन स्टाफ अधिकारी (संभार तंत्र), सिविलियन स्टाफ अधिकारी (संभार तंत्र) और फोरमैन (भंडार) के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तटरक्षक संगठन (रक्षा मंत्रालय) समूह 'क' और समूह 'ख' (भंडारण काडर) भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) में स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. **निरर्हता .—**वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. प्रारंभिक संविधान.—ऐसे कार्मिक, जिन्होंने इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी (संभार तंत्र) का पद नियमित आधार पर धारित किए हुए हैं, को इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा।
- 7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 8. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद है	सीधे भर्ती किए
			स्तर	अथवा	जाने वाले
				अचयन पद	व्यक्तियों के लिए
					आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.ज्येष्ठ सिविलियन	05* (2017)	साधारण केंद्रीय	स्तर-12	चयन पद	लागू नहीं होता
स्टाफ अधिकारी	*कार्यभार के आधार	सेवा समूह 'क',	(78800-		
(संभार तंत्र)	पर परिवर्तन किया	राजपत्रित,	209200 रु.)		
	जा सकता है।	अनंनुसचिवीय			

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागु नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धित: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित); 60 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित)।

प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 में ऐसे सिविलियन स्टाफ अधिकारी (संभार तंत्र) जिन्होंने उस पद पर नियुक्त होने के पश्चात नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो और जिन्होंने सरकारी या किसी अन्य संगठन/संस्थान में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो:-

- (i) क्रय प्रबंधन में दो सप्ताह का प्रशिक्षण
- (ii) वित्तीय प्रबंधन में दो सप्ताह का प्रशिक्षण

टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित)

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्धशासकीय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के 11वें स्तर अथवा समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्त होने के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्षों की सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हैं:-
 - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि;
 - (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा या कोई ऐसा डिप्लोमा जिसमें सामग्री प्रबंधन एक विषय के रूप में रहा हो; और
 - (iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी या स्वायत्त संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या बैंकों में भंडार प्रशासन और भंडारों के लेखा में दस वर्ष का पर्यवेक्षणीय अनुभव

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित) है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि	विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
	(12)		(13)
समूह	र् 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति.—		प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित)
1.	अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	- अध्यक्ष	पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
2.	संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय	- सदस्य	करना आवश्यक है।
3.	प्रधान निदेशक/निदेशक (संभार तंत्र),		
	तटरक्षक मुख्यालय	- सदस्य	
4.	निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय	- सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सिविलियन	16* (2017)	साधारण केंद्रीय	स्तर-11	चयन पद	लागू नहीं होता
स्टाफ अधिकारी	कार्यभार के आधार	सेवा समूह 'क',	(67700-		
(संभार तंत्र)	पर परिवर्तन किया	राजपत्रित,	208700 रु.)		
	जा सकता है।	अननुसचिवीय			

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न	प्रोन्नित: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में ऐसा सिविलियन राजपत्रित अधिकारी (संभार
हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	तंत्र) जिसने उस पद पर नियुक्त होने के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में सात
जिसमें अल्पावधि संविदा भी है, 75	वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने सरकारी या किसी अन्य मान्यताप्राप्त सरकारी
प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें	संगठन के संस्थान में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो:-
अल्पावधि संविदा भी है।	(i) लोक वित्तीय प्रबंधन में एक सप्ताह का प्रशिक्षण

(ii) प्रशासन के महत्व में एक सप्ताह का प्रशिक्षण

टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित)

केंद्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्धशासकीय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग मे नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रक्सि के 10वें स्तर या समतुल्य पद पर नियुक्त होने के पश्चात उस श्रेणी में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हैं:-
 - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि:
 - (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा या कोई ऐसा डिप्लोमा जिसमें सामग्री प्रबंधन एक विषय के रूप में रहा हो; और
 - (iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या विश्वविद्यालों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या बैंकों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में भंडार प्रशासन और भंडारों के लेखा में पांच वर्ष का पर्यवेक्षणीय अनुभव

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित) है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति(अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	(12)		(13)
समूह	ह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति:-		प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग
1.	अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	- अध्यक्ष	से परामर्श करना आवश्यक है।
2.	संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय	- सदस्य	
3.	निदेशक (संभार तंत्र), तटरक्षक मुख्यालय	- सदस्य	
4.	निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय	- सदस्य	
समूह	ह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति:—		
1.	संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय	- अध्यक्ष	
2.	निदेशक (संभार तंत्र), तटरक्षक मुख्यालय	- सदस्य	
3.	निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय -	सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सिविलियन	17* (2017)	साधारण केंद्रीय	स्तर-7	चयन पद	लागू नहीं होता
राजपत्रित अधिकारी	कार्यभार के आधार	सेवा समूह 'ख',	(44900-142400 रु.)		
(संभार तंत्र)	पर परिवर्तन किया जा	राजपत्रित,			
	सकता है।	अननुसचिवीय			

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)(11)प्रोन्नित: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में तटरक्षक संगठन के ऐसे फोरमैन (भंडार) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो जिन्होंने उस पद पर नियुक्त होने के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने सरकारी या किसी अन्य संगठन के संस्थान अल्पावधि संविदा भी है, 50 प्रतिशत में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो:-प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्पावधि संविदा भी है। (i) सरकारी कार्यालयों में संगठनात्मक व्यवहार में एक सप्ताह का प्रशिक्षण (ii) क्रय प्रबंधन में तीन दिवसीय प्रशिक्षण टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अहर्ताएं और अनुभव हैं।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित) है साधरणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)	
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलक	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना	
1. निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय	- अध्यक्ष	आवश्यक नहीं है।
2. संयुक्त निदेशक (संभार तंत्र), तटरक्षक मुख्यालय	- सदस्य	
3. ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी, तटरक्षक मुख्यालय	- सदस्य	
4. सिविलियन स्टाफ अधिकारी, तटरक्षक मुख्यालय	- सदस्य	
समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति:—		
1. निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय	- अध्यक्ष	
2. संयुक्त निदेशक (संभार तंत्र), तटरक्षक मुख्यालय	- सदस्य	
3. ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी, तटरक्षक मुख्यालय	- सदस्य	
4. सिविलियन स्टाफ अधिकारी, तटरक्षक मुख्यालय	- सदस्य	

[फा. सं. सीपी/0601/भंडार काडर/659/डी(सीजी)/2017] सुधीर बाबू मोटाना, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 11th October, 2017

- S.R.O. 82.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Coast Guard Organisation Group 'A', and Group 'B', (Storekeeping Cadre) Recruitment Rules, 2013 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Civilian Staff Officer (Logistics), Civilian Staff Officer (Logistics), Civilian Gazetted Officer (Logistics) & Foreman of Stores in Coast Guard Organisation, Ministry of Defence namely:-
- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Coast Guard Organisation Group 'A' and Group 'B' (Store Keeping Cadre) Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

- 2. These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 4. **Method of recruitment, age-limit, and qualification, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be specified in columns (5) to (13) of the afore-said Schedule.
- 5. **Disqualification.**—No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. **Initial Constitution.** —The personnel holding the post of Senior Civilian Staff Officer (Logistics) on regular basis, before the commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.
- 7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post		Number of Posts	Number of Posts Classification		Whether selection post or selection post	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Senior Staff (Logistics).	Civilian Officer	05* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 (Rs. 78800- 209200).	Selection post	

	other qualifications	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	probation, if	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	40% by Promotion failing which by deputation (Including Short-Term Contract)., 60% by deputation (Including Short-Term Contract).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.

Promotion: Civilian Staff Officers (Logistics) in level-11 in the pay matrix with five years' service rendered after appointment thereto on regular basis who have successfully completed the following training programme from Government or any other organisation institute:-

- (i) two weeks training in Purchase Management.
- (ii) two weeks training in Financial Management.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (Including Short-Term Contract):

Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Statutory or Autonomous Organisations or Universities or Public Sector Undertaking or Semi-Governments or Recognised Research Institute:-

- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-11 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) Possessing the following educational qualification and experience:-

Essential:

- (i) Degree of a recognised university or institute; and
- (ii) Diploma in Material Management or any Diploma with Material Management as a subject from a recognised university or Institute; and
- (iii) Ten years' supervisory experience in a Store administration and accounting of a Stores in Central or State Government or Statutory or Autonomous Organisation or Public Sector Undertaking or University or Banks.

Note 1: The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation (Including Short-Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short-Term Contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.		
(12)		(13)	
Group 'A' Departmental Promotion Committee:—		Consultation with Union Public Service Commission necessary	
1. Chairman/Member, Union Public Service Commission -Chairman		while appointing an officer on deputation (Including Short-	
2. Joint Secretary (Navy), Ministry of Defence -Member		Term Contract).	
3. Principal Director/ Director (Logistics), Coast Guard Headquarter -Member			
4. Director (Personnel), Coast Guard Headquarters	-Member		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Civilian Staff Officer (Logistics)	16*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs.67700- 208700).	Selection post

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

(10)	(11)
25% by promotion failing which by deputation Including Short- Term Contract., 75% by deputation Including Short- Term Contract.	Promotion: Civilian Gazetted Officer (Logistics) in level-7 in the pay matrix with seven years regular service in the grade rendered after the appointment thereto on regular basis who have successfully completed the following training programme from Government or any other Government recognised Institute:-
	(i) One week training programme in Public Financial Management.
	(ii) One week training in Value of Administration.
	Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
	Deputation (Including- Short Term Contract): Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Statutory or Autonomous Organisations or Universities of Public Sector Undertaking or Semi-Governments or recognised Research Institute:
	(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or
	(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-10 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
	(b) Possessing the following educational qualification and experience:-
	(i) Degree of a recognised university.
	(ii) Diploma in Material Management or any Diploma with Material Management as a subject from a recognised university or institute; and
	(iii) Five years experience in Store Administration and accounting of store in Central Government or State Government Autonomous or Statutory Organisation, Public Sector Undertaking or University or Banks.
	Note: 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
	Note: 2 Period of deputation (Including Short-Term Contract) including period of deputation (Including Short-Term Contract) in another ex cadre post held immediately preceding this appointment in the same o some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit fo appointment by deputation (Including Short-Term Contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(12)		(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee Consisting of:		Consultation with Union
1. Chairman or Member, Union Public Service Commission	-Chairman	Public Service Commission
2. Joint Secretary (Navy), Ministry of Defence	-Member	necessary on each occasion.
3. Director (Logistics), Coast Guard Headquarters	-Member	
4. Director (Personnel), Coast Guard Headquarters	-Member	
Group 'A' Departmental Confirmation Committee Consisting of	·:	
1. Joint Secretary (Navy), Ministry of Defence	- Chairman	
2. Director (Logistics), Coast Guard Headquarters	-Member	
3. Director (Personnel), Coast Guard Headquarters	-Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Civilian Gazetted	17*(2017)	General Central Service,	Level-7	Selection post
Officer(Logistics).	*Subject to variation	Group 'B' Gazetted,	(Rs.44900-142400).	
	dependent on workload.	Non-Ministerial.		71.72

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
50% by promotion failing which by deputation Including Short-Term Contract.,	Promotion: Foreman of Stores of Coast Guard Organisation in level-6 in the pay
50% by deputation Including Short-Term Contract.	matrix with five years' service in the grade rendered after the appointment thereto on a regular basis who have successfully completed the following training programme from Government or any other Government recognised Institute:-
	(i) One week Training in Organisational Behaviour in Government Offices.
	(ii) Three days training in Purchase Management.
	Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
	Deputation (Including Short- Term Contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Statutory or Autonomous Organisations or Universities of Public Sector Undertaking or Semi-Governments or Recognised Research Institute;
	(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or
	(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-6 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and